रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 1989/चैत्र 10, 1911
No. 249] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 1989/CHAITRA 10, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1989

आदेश

का.आ. 249(अ) :—कम्पनी विधि बोर्ड का समाधान हो गया है कि केरल राज्य के अन्तर्देशीय जल मार्गों द्वारा माल और यात्रियों के परिवहन के निर्बाध कार्यकरण के प्रयोजन के लिए और ऐसी पोत परिवहन संक्रियाओं के संचालन के लिए भी जो आवश्यक पाई जाए और सस्ती दरों पर ऐसी सेवाओं के द्वारा जनता के फायदे के लिए ऐसी परिवहन सुविधाओं के विकास की आवश्यकता की दृष्टि से भी और निधि और वित्त के साधनों का, बार्ज उपस्करों, कार्मिक और सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए लोकहित में यह आवश्यक है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन पब्लिक कम्पनी के रूप में निगमित केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, जो एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय द्वितीय तल, 'स्काई ब्राइट", रबिपुरम, एम.जी. रोड, कोचीन-682016 में है और कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन प्राइवेट कम्पनी के रूप में निगमित केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन, लिमिटेड, जो एक सरकारी कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय केरल द्वितीय तल, "स्काई ब्राइट", रबिपुरम, एम.जी. रोड, कोचीन-682016 में है, को एक कम्पनी के रूप में समामेलित कर दिया जाना चाहिए;

और दोनों कम्पनियों, अर्थात् मैसर्स केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने समामेलन की स्कीम का अनुमोदन कर दिया है;

और प्रस्तावित आदेश की एक प्रति पूर्वोक्त कम्पनियों, अर्थात् मैसर्स केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और मैसर्स

केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को समाचार-पत्र में प्रकाशन के लिए भेजी गई थी और कम्पनी विधि बोर्ड को समामेलन की स्कीम की बाबत किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप /सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अब, अतः, कम्पनी विधि बोर्ड, भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. सा. का. नि./443 (अ) तारीख 18-10-1972 की अधिसूचना के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त दोनों कम्पनियों के समामेलन का उपबन्ध करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम :—इस आदेश का संक्षिप्त नाम केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1989 है।

परिभाषाएं :—इस अनुमोदित स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

(ख) "विघटित कम्पनी" से केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है।

(ग) "परिणामी कम्पनी" से केरल शिपिंग और इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है।

केरल शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड का इस आदेश के द्वारा विघटन हो जाएगा और केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को "केरल शिपिंग एण्ड इनलैंड कार्पोरेशन" के रूप में पुनः नामित किया जाएगा।

3(क) तारीख 31-3-1986 को यथा विद्यमान दोनों कम्पनियों की अंश धारण पद्धति :—

(1) केरल शिपिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड

	अंशों की सं.	रकम (रुपए)
प्राधिकृत अंश पूंजी समादत्त अंश पूंजी	1,50,000	15,00,00,000
क-केरल सरकार जिसके अन्तर्गत उसके नाम-निर्देशिती भी है (प्रत्येक 1,000/— रुपए के साधारण अंश)।	15,377	1,53,77,000
ख- अन्य अंश धारक	1,714	17,14,000
	17,091	1,70,91,000
जोड़िए: समपहृत अंश		27,000
		1,71,18,000

(2) केरल इनलैंड नवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड :

प्राधिकृत अंश पूंजी		1,00,00,000
समादत्त अंश पूंजी		
केरल सरकार के पूर्ण रूप से स्वामित्वाधीन और उसके नामनिर्देशिती (प्रत्येक 100 रुपए के साधारण अंश)	1,00,000	1,00,00,000

3. (ख) समामेलन पर केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में अंश धारण करने की दशा में परिणामी कंपनी के अभिदाए किए गए और समादत्त अंश रद्द किए गए समझे जाएंगे।

3. (ग) परिणामी कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी 16,00,000/—होगी जिसे प्रत्येक 100 रुपए के 16,00,000 के अंशों में विभक्त किया जाएगा।

3. (घ) परिणामी कम्पनी की पुरोधृत अभिदाय की गई और समादत्त पूंजी 2,70,91,000/– रुपए होगी जिसमें प्रत्येक 100 रुपए के 2,70,910 अंश होंगे।

3. (ङ) केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के अंश धारक परिणामी कम्पनी के अंश धारक बन जाएंगे जो प्रत्येक 100 रुपए के मूल्य के तत्समान अंश धारण करती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रत्येक 1000 रुपए का साधारण अंश केरल शिपिंग एण्ड इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रत्येक 100 रुपए के 12 साधारण अंशों के बराबर होगा।

(4) 31-3-1986 को यथा विद्यमान संबंधित कम्पनियां अर्थात् केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के लाभ और हानि लेखाओं में विकलन/जमा अतिशेष परिणामी कम्पनी की पूंजी आरक्षिती के मद्दे मुजरा किया जाएगा/समायोजित किया जाएगा।

(5) परिणामी कम्पनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद वैसे ही होंगे जैसे इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के हैं।

(5) (1) जब कभी केरल इनलैंड नेवीगेशन लिमिटेड के नाम का संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में उल्लेख किया जाएगा, तो निम्नलिखित नाम अर्थात्, केरल शिपिंग एण्ड इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड उसके स्थान पर रखा जाएगा।

(6) परिणामी कंपनी की पूंजी आरक्षिती के आंकड़े उपरोक्त पैरा (4) के अधीन रहते हुए केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के तुलनपत्र के अनुसार होंगे।

(7) परिणामी कम्पनी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसका नाम नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के सदस्यों के नियमित रजिस्टर में प्रकट होता है, रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा उसको अंशों के आबंटन के बारे में विशिष्टियां देने वाली सूचना और ऐसे अंशों का आबंटन पत्र जारी करेगी: परिणामी कम्पनी द्वारा कम से कम ऐसे दो समाचार-पत्रों में भी (जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा) एक सूचना भी प्रकाशित की जाएगी जिसमें विघटित कम्पनी के अंशधारकों को सूचना के प्रेषण को अभिपुष्टित किया जाएगा।

(8) कम्पनियों का समामेलन :—(i) नियत दिन से ही, केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का समस्त कारबार और उपक्रम जहां पर भी है, जिसके अन्तर्गत सभी सम्पत्तियां, चाहे जंगम हों या स्थावर और अन्य आस्तियां, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जैसे मशीनरी, नौका और अन्य स्थिर आस्तियां, पट्टा भू-धृति अधिकार, गोदामों में विनिधान या अन्यथा व्यापार में स्टीक कर्मशाला, औजार अभिवहन में माल, सभी प्रकार के धनों का अग्रिम, बहीखाता ऋण, बकाया धन, वसूलीय दावे, करार, औद्योगिक और अन्य अनुज्ञप्तियां और अनुज्ञापत्र आधान और अन्य अनुज्ञप्तियां, आशय पत्र और हर प्रकार के सभी अधिकार और शक्तियां है, किन्तु केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के सभी बंधकों और प्रभारों और आडमान, और उसकी उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाली प्रत्याभूति और सभी अधिकारों के अधीन रहते हुए और कार्रवाई या विलेख के बिना प्रवृत्त विधि के अनुसार केरल शिपिंग एण्ड इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को अन्तरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे या अन्तरित और निहित हुए समझे जाएंगे।

(ii) लेखा के प्रयोजनों के लिए, समामेलन विघटित कम्पनी के 31-3-1986 को यथा विद्यमान लेखा परीक्षित लेखाओं और तुलन पत्र के प्रति निर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् संव्यवहारों को एक सामान्य लेखा में पूत किया जाएगा, विघटित कम्पनी से किसी पश्चात्वर्ती तारीख को अपना अन्तिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और परिणामी कम्पनी 31-3-1986 को यथा विद्यमान तुलन पत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण करेगी और उसके पश्चात् के सभी संव्यवहारों का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण :—विघटित कम्पनी के उपक्रम के अन्तर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार विशेषाधिकार और सभी सम्पत्ति, जंगम या स्थावर जिसके अन्तर्गत नकद अतिशेष, आरक्षितियां, राजस्व अतिशेष, विनिधान और ऐसी सम्पत्ति में, या उसके उद्भूत होने वाले अन्य सभी हित और अधिकार जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनी के हों, और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज तथा विघटित कम्पनी के उस समय विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, कर्तव्य और बाध्यताएं चाहे वे किसी भी प्रकार की उस समय हों, आते हैं।

(9) सम्पत्ति की कुछ मदों का अन्तरण :—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को यथा विद्यमान विघटित कम्पनी को राजस्व आरक्षित या दोनों, यदि कोई हों, जब परिणामी कम्पनी को अन्तरित होते हैं तो वे परिणामी कम्पनी के, यथास्थिति, राजस्व आरक्षिती या घाटे का भागरूप होंगे।

(10) संविदाओं आदि की व्यावृत्ति :—इस आदेश में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बन्धपत्र, करार और अन्य लिखतों का चाहे वे किसी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व अस्तित्व में है या प्रभावी हैं, परिणामी कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण बल होगा और प्रभावी होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण रूप से और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कम्पनी की बजाय परिणामी कम्पनी उसमें एक पक्षकार थी।

(11) विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति :—यदि, नियत दिन को, विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो यह विघटित कम्पनी के उपक्रम के परिणामी कम्पनी को अन्तरित हो जाने के कारण या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपशमित नहीं होगी या उसे बन्द नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु ऐसा वाद, अभियोजन अपील या अन्य विधिक कार्यवाही परिणामी कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी विस्तार तक जारी रखी जा सकेगी, अग्रसर और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस विस्तार तक वह विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती या अग्रसर और प्रवर्तित की जा सकती थी या जारी रखी जा सकेगी, या अग्रसर और प्रवर्तित की जा सकेगी, यदि यह आदेश नहीं किया गया होता।

(12) कराधान की बाबत उपबन्ध :—नियत दिन से पूर्व, विघटित कम्पनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और अनामेलित अवक्षणय भी हैं, की बाबत सभी कर उस सीमा तक परिणामी कम्पनी द्वारा ऐसी रियायतों और अनुतोषों के अधीन रहते हुए जो ऐसे समामेलन के परिणामस्वरूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन अनुज्ञात किया जाए, संदेय होंगे जैसे वे विघटित कम्पनी द्वारा तब संदेय होते जब यह आदेश न किया गया होता।

(13) विघटित कम्पनी के विद्यमान अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबन्ध :—विघटित कम्पनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक

अधिकारी या अन्य कर्मचारी (विघटित कम्पनी के निदेशक को छोड़कर) नियत दिन से परिणामी कम्पनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर और वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह, यदि वह आदेश नहीं किया गया होता, विघटित कम्पनी के अधीन धारण करता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक परिणामी कम्पनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका श्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।

(14) निदेशकों की स्थिति :—(क) विघटित कम्पनी का प्रत्येक निदेशक, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस रूप में पद धारण किए हुए है, नियत दिन को विघटित कम्पनी के निदेशक नहीं रह जाएगा।

(ख) केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान निदेशक परिणामी कम्पनी के निदेशक होंगे।

(15) भविष्य-निधि की सदस्यता :—विघटित कम्पनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी, कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की स्कीम के अधीन उस कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य बने रहेंगे जिसके वे सदस्य है और इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के नियत दिन से केरल शिपिंग एण्ड इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड इन अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत, उन्हीं दरों पर, जिन पर विघटित कम्पनी उक्त कर्मचारी भविष्य निधि में अभिदाय कर रही थी, उक्त निधि में कर्मचारियों के अभिदाय करेगा और करता रहेगा।

(16) केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का विघटन :—इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियत दिन से केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड विघटित हो जायेगी और कोई भी व्यक्ति विघटित कम्पनी के विरुद्ध या उसके किसी निदेशक या किसी अधिकारी के विरुद्ध उसकी ऐसे निदेशक या अधिकारी की हैसियत में, न तो कोई दावा करेगा और न कोई मांग या कार्यवाही प्रख्यापित करेगा या हटायेगा सिवाय वहां तक जहां तक इस आदेश के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हो।

(17) कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण :—कम्पनी विधि बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र कम्पनी रजिस्ट्रार केरल को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा जिसकी प्राप्ति पर, कम्पनी रजिस्ट्रार केरल परिणामी कम्पनी द्वारा विहित फीस का संदाय किए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। उसके पश्चात् कम्पनी रजिस्ट्रार, केरल अन्तरक कम्पनी से संबंधित अपने पास रजिस्ट्रीकृत अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेज, केरल शिपिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को जिसके साथ अन्तरक कम्पनी का समामेलन किया गया है, फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को अपनी फाइल में रखेगा।

(18) परिणामी कम्पनी के संगम अनुच्छेद :—केरल इनलैंड नेवीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के संगम अनुच्छेद जिस रूप में वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, उसके अनुच्छेद 4 के लोप के साथ नियत दिन से परिणामी कम्पनी के संगम अनुच्छेद हो जाएंगे।

[24/8/86-सी.एल.-3]

एस. कुमार, सदस्य (कम्पनी विधिबोर्ड)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

ORDER

New Delhi, the 31 March, 1989

S.O. 249 (E):- Whereas, the Company Law Board is satisfied that for the purpose of smooth functioning of the business of transporting goods and passengers by Inland Waters of State of Kerala and also for carrying on shipping operations as may be found necessary and also in view of the necessity of developing such transport facilities for the benefit of the public by rendering such services at cheap rate and for the purpose of securing the use of resources of funds and finance, barges equipments, personnel and materials, it is essential in the public interest that Kerala Shipping Corporation Ltd. a Govt. company, incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) as a Public Company having its registered office at 2nd floor, 'SKYBRIGHT'. Ravipuram, M.G. Road, Cochin-682 016 and Kerala Inland Navigation Corporation Limited, a Govt. Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) as a Private Company, having its registered office at 2nd floor, 'SKYBRIGHT', Ravipuram, M.G. Road, Cochin-682 016 should be amalgamated into a single company:

And whereas, both the companies, M/s. Kerala Shipping Corporation Limited and M/s. Kerala Inland Navigation Corporation Limited have approved the scheme of amalgamation ;

And whereas, a copy of the proposed order was sent in draft to the aforesaid companies namely M/s. Kerala Shipping Corporation Limited and M/s. Kerala Inland Navigation Corporation Limited for its publication in the Newspaper and that no objections/suggestions have been received by the Company Law Board in regard to the scheme of amalgamation from any person ;

Now therefore, in exercise of powers conferred by Sub-sections (1) and (2) of Section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Notification of the Government of India, in the Department of Company Affairs, No. GSR/443(E), dated 18-10-1972 the Company Law Board makes the following order to provide for the amalgamation of the said two companies namely:—

(1) Short Title:—This order may be called as the Kerala Shipping Corporation Limited and Kerala Inland Navigation Corporation Limited (Amalgamation) Order, 1989.

(2) Definitions:— In this approved scheme unless the context otherwise requires :—,

(a) 'Appointed day' means the date on which this order is notified in the Official Gazette.

(b) 'Dissolved Company' means Kerala Shipping Corporation Limited.

(c) 'Resulting Company' means Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited.

Kerala Shipping Corporation Limited shall be dissolved by this Order and Kerala Inland Navigation Corporation Limited will be renamed as the 'Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited'.

3(a) The share holding pattern of the two companies as on 31-3-1986:—

(1) The Kerala Shipping Corporation Limited:

	No. of shares	Amount (Rupees)
Authorised Share Capital	1,50,000	15,00,00,000
Paid up Share Capital		
(a) Government of Kerala including their nominees (Equity shares of Rs. 1,000/- each)	15,377	1,53,77,000
(b) Other shareholders	1,714	17,14,000
	17,091	1,70,91,000
Add: Forfeited shares		27,000
		1,71,18,000

(2) Kerala Inland Navigation Corporation Limited:

Authorised share capital		1,00,00,000
Paid up share capital Fully owned by Government of Kerala and their nominees (Equity shares of Rs. 100/- each)	1,00,000	1,00,00,000

3 (b) In the event of the Kerala Inland Navigation Corporation Limited holding shares in the Kerala Shipping Corporation Limited, on amalgamation so much subscribed and paid up shares of the resulting company shall be deemed to have been cancelled.

3(c) The authorised capital of the resulting Company shall be Rs. 16,00,00,000/- divided into 16,00,000 shares of Rs. 100/- each.

3(d) The Issued, Subscribed and Paid up Capital of the resulting Company shall be Rs. 2,70,91,000/- consisting of 2,70,910 shares of Rs. 100/- each.

3(e) The shareholders of Kerala Shipping Corporation Limited and the Kerala Inland Navigation Corporation Limited shall become the shareholders of the resulting company holding corresponding shares of value of Rs. 100/- each. It is clarified that an Equity share of Rs. 1000- each in Kerala Shipping Corporation Limited will be equal to 12 Equity Shares of Rs. 100/- each in the Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited.

(4) The Debit/Credit balances in the Profit and Loss Accounts of the respective companies as on 31-3-1986 i.e., Kerala Shipping Corporation Limited and Kerala Inland Navigation Corporation Limited shall be set off/adjusted against the capital reserve of the resulting company.

(5) The Memorandum of Association and Article of Association of the resulting company shall be the same as that of Kerala Inland Navigation Corporation Limited.

(5)(i) Wherever the name Kerala Inland Navigation Corporation Limited is mentioned either in the Memorandum of Association or Article of Association the following name viz., Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited shall be substituted.

(6) Capital Reserve of resulting Company shall be the figures as per Balance Sheet of Kerala Shipping Corporation Limited, subject to para (4) above.

(7) The resulting company shall be registered post acknowledgement due to every person whose name appears immediately before the appointed day in the regular register of members of the dissolved company issue a notice giving particulars as to the allotment of shares to him and allotment Letter for such shares. A notice shall also be published by the resulting company in at least two news paper (one of which shall be in the regional language) notifying the despatch of the notice to the shareholders of the dissolved company.

(8) Amalgamation of the companies:—(i) On and from the appointed day, the entire business and undertakings of Kerala Inland Navigation Corporation Limited and Kerala Shipping Corporation Limited in as is where is condition including all the properties, movable or immovable and other assets of whatsoever nature e.g., machinery, Barges, Boats and all fixed assets, leases tenancy rights, investments in shares or otherwise stock in-trade, work hop tools, goods-in-transit, advances of monies of all kinds, book debts, outstanding monies, recoverable claims, agreements, industrial and other licences and permits import and other licences, letters of intent and all rights and powers of every description, but subject to all mortgages and charges and hypothecation, guarantees and all rights whatsoever affecting the said properties of Kerala Inland Navigation Corporation Limited and Kerala Shipping Corporation Limited shall without further act or deed be transferred to and vest in or deemed to be transferred to and vest in Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited in accordance with the law in force.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 31-3-1986 of the two companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account the dissolved company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheet as on 31-3-1986 and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation:— The 'Undertaking of the dissolved Company's shall include all rights, powers, authorities and privileges and all property, moveable or immovable including cash balances, reserves, revenue balances, investments and all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to or be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day, and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

(9) Transfer of certain items of property:— For the purpose of this Order, as on the appointed day, the revenue reserves or deficits, or both if any, of the dissolved company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the revenue reserves or deficits, as the case may be of the resulting Company.

(10) Saving of Contracts Etc.—Subject to the other provisions contained in this order, all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a part, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect, against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually, as if, instead of the dissolved company, the resulting Company had been a partly thereto.

(11) Saving of Legal Proceedings.—If, on the appointed day, any suit, prosecution, appeal or other legal proceeding of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued, or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or if anything contained in this order; but the suit, prosecution, appeal or other legal proceeding may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

(12) Provision with Respect to Taxation.—All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company subject to such concessions and reliefs as may be allowed under Income Tax Act 1961 (43 of 1961) as a result of this amalgamation.

(13) Provisions respecting existing officers and other employees of the Dissolved company.—Every whole-time officer or other employee (excluding the Directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day in the dissolved company, shall be from the appointed day, become an Officer or other employees as the case may be of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and privileges as he would have hold the same under the dissolved company, if this order had not been made, and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

(14) Position of Directors.—(a) Every Director of the dissolved Company holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a Director of the dissolved Company on the appointed day.

(b) The present Directors of Kerala Inland Navigation Corporation Limited shall be the Directors of the resulting company.

(15) Membership of provident fund.—All officers and employees of the dissolved companies shall continue to be members of the Employees Provident Fund under the scheme of the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act—1952 of which they are members and Kerala Shipping and Inland Navigation Corporation Limited shall with effect from the appointed day of publication of this order in the official Gazette make and continue to make the employers' contributions to the said Employees Proident Fund in respect of these officers and employees at the same rates as were being made by the dissolved companies.

(16) Dissolution of Kerala Shipping Corporation Limited.—Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Kerala Shipping Corporation Limited shall be dissolved and no person shall make, assort or take any claims demands or proceedings against the dissolved company or against a director of an officer thereof in his capacity as such Director of Officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

(17) Registration of the Order by the Registrar of Companies.—The Company Law Board shall as soon as may be after this order is notified in the official gazette, send to the Registrar of Companies, Kerala a copy of this Order on receipt of which the Registrar of Companies, Kerala shall register the Order on payment of the prescribed fee by the resulting company and certify under his hand the registration thereof which within one month from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Kerala shall forthwith include all documents registered, recorded or filed with him relating to the transferer company on the file of Kerala Shipping Corporation Limited with whom the transferer company has been amalgamated and consolidated those and shall keep such consolidated documents on his file.

(18) Articles of Association of the Resulting company.—The Articles of Association of the Kerala Inland Navigation Corporation Limited as they stood immediately before the appointed day with the deletion of Article-4 thereof, shall as from the appointed day, be the Articles of Association of the Resulting Company.

[24-8-86-CL-III]

S. KUMAR, Member
Company Law Board

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989